



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक की वपूर्ण स्वामित्ववाली संस्था) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

www.dicgc.org.in

संदर्भ सं. Ref.No निबीप्रगानि DICGC/9943/05.60.999/2011-2012

सितंबर September 21, 2011

अध्यक्ष
सभी बीमाकृत बैंक
महोदय/महोदया

The Chairman
All Insured Banks
Dear Sir / Madam

**निक्षेप बीमा (डीआई) विवरणियों की तर्कसंगतता
सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना**

**Rationalisation of Deposit Insurance (DI) Returns -
Submission of Certificate by Statutory Auditors**

उपर्युक्त विषय पर 30 अगस्त 2010 का हमारा परिपत्र निबीप्रगानि.डीआईडी.सं.3121/05.03.01/2010-11 का अवलोकन करें, जिसके साथ निर्धारणीय जमाराशियों तथा प्रीमियम की गणना से संबंधित व्याख्यात्मक नोट संलग्न किया गया था। यह देखा गया है कि कई बीमाकृत बैंकों द्वारा निर्धारणीय जमाराशियों की गणना सही रूप से नहीं की जा रही है, जिसके कारण सूचित की गई जमाराशियाँ तथा लेखापरीक्षित जमाराशियाँ परस्पर मेल नहीं खाती हैं।

Please refer to our circular DICGC.DID.No. 3121/05.03.01/2010-11 dated August 30, 2010 on the captioned subject (available at website www.dicgc.org.in) enclosing an explanatory note on computation of assessable deposits and premium. It has been observed that the assessable deposits are not being computed correctly by many insured banks leading to disagreement between the reported and audited deposit figures.

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारणीय जमाराशियों और प्रीमियम की गणना सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए तथा इस संबंध में संलग्न प्रारूप में एक प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर हमें प्रस्तुत किया जाए। 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष से संबंधित ऐसा पहला प्रमाणपत्र, जिसमें सितंबर 2011 तथा मार्च 2012 को समाप्त छमाही से संबंधित निर्धारणीय जमाराशियों की शुद्धता प्रमाणित की गई हो, अधिकतम 30 जून 2012 तक हमें प्रस्तुत कर दिया जाए।


2. It has, therefore, been decided that the computation of assessable deposits and premium may be got verified by your Statutory Auditors based on the guidelines stated in the above circular and the certificate in the format enclosed may be submitted to us on annual basis. The first such certificate for the year ending March 31, 2012 certifying the accuracy of the assessable deposits computed for the half years ended September 2011 and March 2012 may be submitted latest by June 30, 2012.


3. कृपया प्राप्ति सूचना भेजें।

3. Please acknowledge receipt.

भवदीय

Yours faithfully


(एन.के.भाटिया)
महाप्रबंधक
संलग्नक : एक


(N. K. Bhatia)
General Manager
Encl: 1

निबीप्रगानि, मुंबई को प्रस्तुत करने हेतु सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र
Certificate by Statutory Auditors to DICGC, Mumbai

प्रमाणित किया जाता है कि सितंबर 20__ (₹ _____ लाख) तथा मार्च 20__ (₹ _____ लाख) को समाप्त छमाही की निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर _____ (बैंक का नाम) द्वारा निक्षेप बीमा प्रीमियम के रूप में अदा की गई क्रमशः ₹ _____ तथा ₹ _____ की राशि की गणना सत्यापित की जाती है तथा यह 30 अगस्त 2010 के निबीप्रगानि के परिपत्र निबीप्रगानि.डीआईडी.सं. 3121/05.03.01/2010-11 में दिए गए दिशानिर्देशों तथा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सही है।

It is certified that, the computation of deposit insurance premium of ₹ _____ and ₹ _____ paid by (Name of the bank) based on its Assessable Deposits for the half-years ended September 20 __ (₹ _____ in lacs) and March 20__ (₹ _____ in lacs) respectively has been verified and found to be correct as per the guidelines issued by DICGC vide Circular DICGC.DID.No.3121/05.03.01/2010-11 dated August 30, 2010 and amendments issued from time to time.

वास्ते / For _____ (पंजीकरण सं. सहित लेखापरीक्षक फर्म का नाम)
(Name of the Audit Firm with Reg. No)

प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / **Authorised Signatory**

हस्ताक्षर / Signature :

नाम / Name :

पदनाम / Designation :

सदस्यता सं. / Membership No:

कार्यालय की मुहर
OFFICIAL SEAL